कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

कार्यालय आदेश

संख्याल प्रशासनI/ले.प./2013-14/282 दिनांक 12.02.2014

मुख्यालय के परिपत्र संख्या1-स्टॉफ विंग/2014, संख्या 10-स्टॉफ (ए.पी.पी.-II)/63-2013 दिनांक 06.01.2014 की अनुपालना में प्रधान महालेखाकार महोदय ने समूह 'ख' तथा 'ग' स्टॉफ की कार्यालय के भीतर/कार्यालय से बाहर स्थानांतरण एवं तैनाती के लिए एक स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। गठित किए गए बोर्ड के सदस्य निम्नवत् हैं:

1. समूह 'ख' तथा 'ग' स्टॉफ के अंतः कार्यालय स्थानांतरण तथा तैनाती के लिएः

(i) वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (प्रशासन) , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा ;

(ii) निदेशक (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़ ; तथा

(iii) वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा।

इन समूह अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी , अध्यक्ष होंगे। प्रधान महालेखाकार स्वीकरण प्राधिकारी हैं।

2. समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारियों के अंतः कार्यालय स्थानांतरण तथा तैनाती हेतुः-

(i) वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (प्रशासन) , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा ;

(ii) वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र- 2), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा ; तथा

(iii) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा।

इन समूह अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी , अध्यक्ष होंगे तथा प्रधान महालेखाकार स्वीकरण प्राधिकारी होंगे।

3. समूह 'ख' (अराजपत्रित) तथा 'ग' स्टॉफ के अंतः कार्यालय स्थानांतरण तथा तैनाती हेतुः-

(i) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) , कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा ;

(ii) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी , आई.सी./{आर्थिक क्षेत्र- 1 (मुखयालय)}, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा ; तथा

(iii) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी , आई.सी./{राजस्व क्षेत्र (बिक्री कर-मुख्यालय)}, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा।

इन ब्रांच अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी , अध्यक्ष होंगे तथा वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (प्रशासन) स्वीकरण प्राधिकारी हैं।

बोर्ड द्वारा स्थानान्तरण एवं तैनाती के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत दिशानिर्देश परिशिष्ट 'क' में संलग्न हैं।

हस्ता/-
वरिष्ठ उप-महालेखाकार
(प्रशासन)

संख्यार प्रशासनI/ले.प./पी. एव. टी. बोर्ड/2013-14/3695 दिनांक 12.02.2014

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को कापी प्रेषित की जाती हैः

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
2. सभी समूह अधिकारी
3. सचिव, प्रधान महालेखाकार
4. कार्यालय के सभी अनुभाग

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

परिशिष्ट 'क'

स्थानांतरण तथा तैनाती बोर्ड के लिए मार्गनिर्देश

1. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को , क्रमावर्तन में विभिन्न शाखाओं के अनुभागों में उनकी तैनाती करके कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में किए जाने वाले कार्य में अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी किसी विशेष अनुभाग/क्षेत्र में पांच वर्षों से ज्यादा समय तक न रहे , जहां सिविल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी वाणिज्यिक विंग में काम रह रहे हैं वे भी उपर्युक्त क्रमावर्तन के अधीन होंगे।

सी.ए.जी. के एम.एस.ओ. (प्रशा.) खंड-I (तीसरा संस्करण) का पैरा 5.9.1

2. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार के विशेष अनुमोदन के बिना, कोई भी लिपिकीय स्टॉफ उसी अनुभाग/विंग में लगातार पांच वर्षों से अधिक रहने के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के लिए किसी सीट या अनुभाग में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति को लघु अंतराल के बाद उसी सीट या अनुभाग में दोबारा तैनात नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की सेवानिवृति से दो वर्ष पूर्व के दौरान विशेष तौर पर इन आदेशों की रियायत से बचना चाहिए।

(सी.ए.जी. के एम.एस.ओ. (प्रशा.) खंड-I (तीसरा संस्करण) का पैरा 6.5.1

3. एक अवधि में आठ वर्षों के लिए राजस्व लेखापरीक्षा (प्रत्य(क्ष कर लेखापरीक्षा , अप्रत्यरक्ष कर लेखापरीक्षा तथा राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग) की लेखापरीक्षा में कार्मिक को रखने की पालिसी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

(मुख्यातलय कार्यालय अर्ध-शास. पत्र संखया97/आर.ए.डी.टी./8-2009 दिनांक 29.01.2010)

4. महानिदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चण्डीगढ़ के कार्यालय में स्टॉफ की तैनाती करते समय ऐसे स्टॉफ को वरीयता दी जाएगी जिसने राजस्व लेखापरीक्षा पास कर ली है।

5. मुख्यारलय के कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार परस्पर स्थानांतरण पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

6. अपवाद मामलों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद प्रशासनिक सुविधा के अनुसार उपर्युक्त मार्गनिर्देशों में रियायत दी जाएगी।